न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 29/2021
उनवान मुकदमा

1. श्री शंकरलाल पिता श्री देवा जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी गांव कुपड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरसिंह पिता श्री भग्गाजी गोड जाति बंजारा उम्र 48 वर्ष निवासी सिन्टेक्स मिल के पीछे बंजारा कॉलोनी बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
2. श्री गोपाल पिता श्री भग्गाजी गोड जाति बंजारा उम्र 58 वर्ष निवासी सिन्टेक्स मिल के पीछे बंजारा कॉलोनी बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
3. श्री बाबुसिंह पिता श्री मोतीसिंह जाति बंजारा उम्र 52 वर्ष निवासी भवानपुरा चिन्मय स्कूल के पास दाहोद रोड नाका बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
4. श्री जगदीश पिता श्री नारायण जाति बंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी अमरदीप नगर अगरपुरा बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
5. श्री राकेश पिता श्री नारायण जाति बंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी अमरदीप नगर अगरपुरा बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
6. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री गोपाल गोड जाति बंजारा उम्र 53 वर्ष निवासी सिन्टेक्स मिल के पीछे बंजारा कॉलोनी बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
7. श्रीमती कमला पत्नी श्री नारायण जाति बंजारा उम्र 60 वर्ष निवासी अमरदीप बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
8. श्रीमती कैलाश पत्नी श्री नरसिंह गोड, जाति बंजारा उम्र 43 वर्ष निवासी सिन्टेक्स मिल के पीछे बंजारा कॉलोनी बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)
9. श्री विजेश पिता श्री बाबुसिंह जाति बंजारा उम्र 28 वर्ष निवासी भवानपुरा चिन्मय स्कूल के पास दाहोद रोड़ नाका बांसवाड़ा तहसील बांसवाडा जिला बासंवाड़ा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी वकील : श्री राजकुमार जैन
अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के अधिवक्ता : श्री नन्दलाल पुरोहित, श्री जयेन्द्र पुरोहित, श्री हरिविष्णु पुरोहित श्री पलमा पण्ड्या

आदेश

दिनांक :–04–08–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 को पेश किया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय में पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस कानूनी एवं दस्तावेजी आधारो पर आधारित होकर प्रार्थी के हक में डिक्री होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 870 नई, 702 पुरानी जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म काली कदीम लगानी 1.34 पैसा, वाके राजस्व ग्राम बांसवाड़ा, अगरपुरा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज होकर राज्य सरकार में लगान अदा करत चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्षे में नक्षा ट्रेस के अनुसार एवं मौके की स्थिति के अनुसार लम्बाई–चौडाई एवं कुल क्षेत्रफल मार्क ए,बी,सी,डी,एफ से दर्शाया गया है। नक्षा वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि सर्वे नं. 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, वाके राजस्व ग्राम बांसवाड़ा अगरपुरा की चतुर्थ दिशा निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

पूर्व	खसरा नंबर 3048/1724 एवं 3050/1724
पश्चिम	खसरा नंबर 1758
उत्तर	खसरा नंबर 1724
दक्षिण	खसरा नंबर 3746/1723

कृषि भूमि का मूल सर्वे नम्बर 1724 का रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 38 बिस्वा है। जमाबन्दी संवत 2059से 2062 के अनुसार श्री कन्हैयालाल का हिस्सा 14/38 एवं श्री संतरा, श्री सनणा, विठला पिसरान श्री लालु भील का 24/38 हिस व हिस्सा है। श्री कन्हैयालाल ने अपना हिस्सा 14/38 श्रीमती शान्ता पत्नी श्री इन्द्रजीत खराडी को विक्रय किया है। शेष सहखातेदार श्री रमेश, श्री भगा पिता स्व. श्री सतरा, श्रीमती सपली बेवा सनणा, विठला पिता श्री लालु एवं श्रीमती चम्पी बेवा लालु भील का 24/38 हित व हिस्सा रहा है। उक्त सहखातदारों में विभाजन होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2952 दिनांक 26.03.2008 के द्वारा श्रीमती शान्ता के हिस्से में मुल सर्वे नं. 1724 रकबा 14 बिस्वा एवं अन्य सहखातेदारों का नया सर्वे नं. 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा विभाजन में प्राप्त हुआ है। तद्अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज होकर नक्षा ट्रेस में पृथक से तरमीम किया गया है। श्री रमेश व अन्य ने अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सर्वे नं. 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को रजिस्टर दस्तावेज विक्रय पत्र द्वारा श्री कालुराम पिता श्री आलुराम भील निवासी वजाखोरा को विक्रय किया है। श्री कालुराम ने उक्त सर्वे नम्बर 3578/1724 को रजिस्टर दस्तावेज विक्रय पत्र क्रम संख्या 2014002663 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा प्रार्थी शंकरलाल को विक्रय किया गया है। तद्अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बहैसियत खातेदार के दर्ज छै।

प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि एवं फसल की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल सीमेन्ट पट्टीयों की छः फीट की ऊँचाई में बनाई है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 03.11.2020 को प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्धेश्य से अनाधिकृत रूप से प्रार्थी की भूमि में प्रवेश होकर निर्माण कार्य करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रोका तो अप्रार्थीगण गाली–गलौच करते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट करने को आमादा हुए तथा अप्रार्थी नरसिंह, राकेश व जगदीश ने प्रार्थी को पकड़कर नीचे पटक दिया एवं मारपीट की एवं आईन्दा जमीन पर आने पर अथवा कहीं रास्ते में मिलने पर जान से मार देने की धमकी देकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को मौके पर छोडकर चले गये। प्रार्थी अप्रार्थीगण के आंतक एवं धमकियों से डर के कारण घर से बाहर जाना बंद कर दिया एवं कोरोना काल संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगने से घर से बाहर नहीं निकला। वर्तमान में लोकडाउन हटने एवं मानसुन पूर्व की बरसात होने पर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर दिनांक 04.07.2021 को काश्त एवं फसल करने हेतु खेत तैयार करने गया जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। प्रार्थी उसके बाद लगातार उक्त कृषि भूमि पर खेती करने जाता है तो अप्रार्थीगण शान्तिपूर्ण काश्त में बाधा व रूकावट पैदा कर प्रार्थी को कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी अकेला है एवं अप्रार्थीगण अधिक संख्या में होने से इनका आतंक है। अप्रार्थीगण दिनांक 04.07.2021 से लगातार प्रार्थी को शान्तिपूर्ण काश्त में बाधा व रूकावट पैदा कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर कृषि भूमि में निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे है एवं क्षति पहुचाने का प्रयास कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण का प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रार्थी की भूमि को जबरन हडपने के लिए उक्त गैरकानूनी कृत्य कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की कृषि के उत्तर दिशा में स्थित सर्वे नम्बर 1724 की भूमि के भूखण्ड खरीदने का बताकर जबरन प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि में प्रवेश करने एवं निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगणों को नगरपरिषद से धारा 194 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हकों पर कुठाराघात करने का कोई हक व अधिकार नही है।

अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में प्रवेश करने, निर्माण कार्य करने एवं शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा व रूकावट पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को असीम हानि होगी तथा प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसका रूपयो में मूल्यांकन नही हो सकेगा एव प्रार्थी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी की भूमि में प्रवेश करने, निर्माण कार्य करने एवं शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा व रूकावट पैदा नहीं करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः यह प्रार्थना पत्र हस्ब धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है।

प्रार्थी वाद ग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक होकर काबिज होकर काश्त करता है। राज्य सरकार में लगान अदा करता है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है। वादी का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

होकर काबिज होने से प्रथम दृष्टया केस बनता है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु वादी के पक्ष में है।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि, बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से ताफैसला मूल वाद इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना फरमावे कि, अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 870 नया 702 पुराना, जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा लगानी 1.34 पैसा वाके ग्राम बांसवाड़ा, अगरपुरा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है, में प्रवेश नहीं करे, किसी प्रकार का जबरन निर्माण कार्य नही करे, बाउण्ड्रीवाल को नुकसान नहीं पहुचायें एवं शान्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नही करें, न किसी अन्य से करावें। वाद के साथ नक्षा पेश किया।

फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी खाता संख्या 870 संवत 2070 से 2073, खसरा गिदावरी संवत 2077, नक्षा ट्रेस, दस्तावेज विक्रय विलेख दिनांक 31.03.2014, जमाबन्दी खाता संख्या 87 संवत 2058 से 2062, जमाबन्दी खाता संख्या 02 संवत 2066 से 2069, मौके के फोटो की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत है।

दिनांक 30.07.2021 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया कि प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना चाहता है जिस हेतु आप न्यायालय द्वारा तारीख पेश दिनांक 29.07.2021 नियत कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया था। प्रार्थी को उक्त नियत पेशी पर उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि आप न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तारीख 25.08.2021 नियम की गई है।

प्रार्थी ने कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3578/1724 में फसल की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल सीमेन्ट पट्टीयों की छः फीट की ऊँचाई में बनाई है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 03.11.2020 को प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्धेश्य से अनाधिकृत रूप से प्रार्थी की भूमि में प्रवेश होकर निर्माण कार्य करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रोका तो अप्रार्थीगण गाली–गलौच करते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट करने को आमादा हुए तथा अप्रार्थी नरसिंह, राकेश व जगदीश ने प्रार्थी को पकड़कर नीचे पटक दिया एवं मारपीट की एवं आईन्दा जमीन पर आने पर अथवा कहीं रास्ते में मिलने पर जाने से मार देने की धमकी देकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को मौके पर छोडकर चले गये। प्रार्थी अप्रार्थीगण के आतंक एवं धमकियों के डर के कारण घर के बाहर जाना बंद कर दिया एवं कोरोने संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगने से घर से बाहर नहीं निकला। वर्तमान में लोकडाउन हटने एवं मानसुन पूर्व की बरसात होने पर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर दिनांक 04.07.2021 को काश्त एवं फसल करने हेतु खेत तैयार करने गया जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर भाग दिया। प्रार्थी उसके बाद लगातार उक्त कृषि पर खेती करने जाता है तो अप्रार्थीगण शान्तिपूर्ण काश्त में बाधा व रूकावट पैदा कर प्रार्थी को कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी अकेला है एवं अप्रार्थीगण अधिक संख्या में होने से इनका आतंक है। अप्रार्थीगण दिनांक 04.07.2021 से लगातार प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा व रूकावट पैदा कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर कृषि भूमि में निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे है एवं क्षति पहुचाने का प्रयास कर रहे है। अतः प्रकरण की सुनवाई तत्काल किये जाना न्यायसंगत है। उक्त प्रकरण में नजदीक पेशी नियत कर सुनवाई करने का आदेश फरमावे।

दिनांक 30.07.2021 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित हुए। प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब पेश करने समय चाहा। दिनांक 02.08.2021 को जवाब पेश करने आदेशित किया गया। दिनांक 02.08.2021 को अप्राथीगण संख्या 1 से 9 का जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु उक्त वाद में प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है तथा वादी का वाद कानूनन निरस्तनीय है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 870 नई, 702 पुरानी जमाबन्दी संवत 2070–2073 के अनुसार सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा लगान 1.34 रूपया वाके ग्राम बांसवाड़ा अगरपुरा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) की होना पूर्वरूप से अस्वीकार है तथा उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदारी के काबिज होकर राज्य सरकार में लगान अदा करना अस्वीकार है। प्रार्थी को उक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि को वादपत्र के साथ संलग्न नक्षाट्रेस के अनुसार लम्बाई–चौडाई व कुल क्षैत्रफल मार्क ए,बी,सी, डी, एफ से जो दशाई है वह मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं है। प्रार्थी ने मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत नजरी नक्षा पेश किया है जो अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ट्रेस नक्षा में अंकित सर्वे नंबर 3578/1724 को मूल सर्वे नम्बर 1724 की आवासीय भूमि में दर्शाकर यह वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा की हदुद पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार हदुद नहीं दर्शायी है।

प्रार्थना पसत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य कि कृषि भूमि का मूल सर्वे नंबर 1724 का रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा होना तथा श्री कन्हैयालाल का हिस्सा 14/38, श्री सतरा, श्री चंदणा, श्री विठला पिसरान श्री लालू एवं श्रीमती चम्पी बेवा लालू भील का 34/38 हित व हिस्सा होना एवं श्री कन्हैयालाल ने अपना हित व हिस्सा 14/38 श्रीमती शान्ता पत्नी श्री इन्द्रजीतखराडी को विक्रय करना तथा शेष खातेदार श्री रमेश, श्री भगा, श्रीमती सपली, श्री विठला एवं श्रीमती चम्पी बेवा लालू का 24/38 हित व हिस्सा होना और नामान्तकरण संख्या 2952 दिनांक 26.03.2008 के द्वारा श्रीमती शान्ता के हिस्से की मूल सर्वे नंबर 1724 रकबा 14 बिस्वा एवं अन्य सहखातेदारों का नया सर्वे नंबर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा विभाजन में प्राप्त होना एवं नक्षाट्रेस में पृथक से तरमीम करना अस्वीकार है। यह तथ्य कि श्री रमेश व अन्य अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सर्वे नंबर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को पंजीयन विक्रयपत्र द्वारा श्री कालुराम पिता श्री आलुराम को विक्रय करना एवं श्री कालुराम द्वारा उक्त सर्वे नम्बर प्रार्थी शंकरलाल को दिनांक 26.03.2014 को विक्रय करना तथा तदनुसार खातेदारी में दर्ज होना पूर्णरूप से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 7 श्रीमती कमला के स्वामित्व, आधिपत्य का आवासीय भूखण्ड संख्या 6 साईज पूर्व से पश्चिम 33 फीट उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 990 वर्गफीट, अप्रार्थी संख्या 8 श्रीमती कमला के स्वामित्व, आधिपत्य का आवासीय भूखण्ड संख्या 1 साईज उत्तर से पूर्व भाग पूर्व से पश्चिम 35 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 20 फीट कुल 700 वर्गफीट एवं आवासीय भुखण्ड संख्या 1 का बदिशा दक्षिणी–पूर्वी भाग पूर्व से पश्चिम 35 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 10 फीट कुल 350 वर्गफीट इस प्रकार आवासीय भुखण्ड की कुल साईज 1050 वर्गफीट, उसी प्रकार श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री रामस्वरूप के स्वामित्व, आधिपत्य का भूखण्ड संख्या 5 साईज पूर्व से पश्चिम 33 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 990 वर्गफीट एवं अप्रार्थी संख्या 6 श्रीमती लक्ष्मी के स्वामित्व, आधिपत्य का आवासीय भुखण्ड संख्या 2 साईज पूर्व से पश्चिम 35 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 1050 वर्गफीट वाके ग्राम अगरपुरा बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा स्थित जिसका सर्वे नम्बर 1724 रकबा 14 बिस्वा में पृथक–पृथक दिनांक को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा श्रीमती शान्ता पत्नी श्री इन्द्रजीत खराडी जाति भील निवासी दाहोद रोड़ बांसवाड़ा से किमतन और क्रय दिनांक से उक्त आवासीय भुखण्ड पर उपरोक्त अप्रार्थी एवं उनका परिवार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। उपरोक्त आवासीय भूमि सर्वे नम्बर 1724 रकबा 14 बिस्वा को श्रीमती शान्ता पत्नी श्री इन्द्रजीत खराडी के नाम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–90–बी में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के द्वारा प्रकरण संख्या 81/2008 में पुर्नग्रहण आदेश संख्या एफ/राज/81/08/2008/889–92 दिनांक 22.05.2008 के द्वारा सर्वे नंबर 1724 रकबा 14 बिस्वा को आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नग्रहित की गई एवं नामान्तरकरण संख्या 3000 दिनांक 26.05.2008 द्वारा आबादी नगरपालिका दर्ज अभिलेख की गई। कार्यालय नगरपालिका मण्डल बांसवाड़ा द्वारा श्रीमती शान्ता के पक्ष में पट्टा क्रमांक 151/2644 दिनांक 04.06.2008 को भू–आवंटन पत्र क्षैत्रफल 823.50 वर्गगज ब्लॉक ए व बी आबादी भूमि का जारी किया गया एवं श्रीमती शान्ता के पक्ष में विधिवत लीज डीड दिनांक 18.06.2008 को निष्पादित की गई और लीज डीड का उप पंजीयक कार्यालय बांसवाड़ा में लेक्ष्य पत्र क्रमांक 2008002324 दिनांक 18.06.2008 को पंजीकृत की गई है। उपरोक्त आवासीय भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी के आवासीय भुखण्ड स्थित है। जिसका अप्रार्थी शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग कर रहे है। परन्तु प्रार्थी अप्रार्थी की उपरोक्त आवासीय भूमि को कृषि भूमि बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्तनीय है क्योंकि प्रार्थी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत फोटो अप्रार्थी की आवासीय भूमि के है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि एवं फसल की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल सीमेन्ट पट्टियों की 6 फीट की ऊँचाई की बनाना एवं अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2020 को प्रार्थी की भूमि में जबरन कब्जा करने के उद्धेश्य से अनाधिकृत रूप से प्रार्थी की भूमि में प्रवेश होकर निर्माण कार्य करने का प्रयास करना जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को रोकने पर अप्रार्थी का गाली गलौच करना एवं प्रार्थी के साथ बातचीत करने को आमादा होना तथा अप्रार्थी नरसिंह, राकेश व जगदीश द्वारा प्रार्थी को पकड़कर नीचे पटक देना व मारपीट करना एवं धमकिया देना आदि सभी तथ्य पूर्ण रूप से मिथ्या होकर अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर दिनांक 04.07.2021 को काश्त एवं फसल करने हेतु खेत तैयार करना एवं जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को जान से मार देने की धमकी देकर भगाना और कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करना कृषि कार्य नहीं करने देना आदि सभी तथ्य अस्वीकार है। उक्त चरण में अन्य सभी तथ्य पूर्णरूप से अस्वीकार है। प्रार्थी किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 6 से 8 व श्रीमती मीरादेवी द्वारा 5–5 फीट की पक्की बाउण्ड्री बनाई है परन्तु दिनांक 28.01.2021 को श्री महेश तेली पिता श्री वेलजी तेली, श्री मुकेश पाटीदार एवं श्री हिरजी पाटीदार एवं प्रहलाद सिंह पुत्र श्री

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

नाथुसिंह राठोड के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी के उपरोक्त आवासीय भुखण्ड पर अतिक्रमण कर क्षति पहुचाने के आशय से बिना किसी हक अधिकार के बलपूर्वक जेसीबी मशीन के साथ प्रवेश कर गाली गलौच करते हुए अतिचार करने लगे और उपरोक्त व्यक्ति अप्रार्थी को धमकाने लगे कि यह प्लोट हमारे है। यहां से कब्जा खाली कर दो नही तो जान से मार देगें। परन्तु वे नहीं माने और जेसीबी मशीन से अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी की बाउण्ड्रीवाल को तहस नहस कर दी जिससे सभी भुखण्ड स्वामी को करीब 5–5 लाख रूपये की क्षति हुई है। उपरोक्त श्री महेश तेली, श्री मुकेश पाटीदार एवं श्री प्रहलाद सिंह के विरूद्ध अप्रार्थी के परिजनों द्वारा उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज कराई है जिसकी प्रथम सूचना संख्या 66/2021 है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी के द्वारा उपरोक्त श्री महेश तेली, श्री मुकेश पाटीदार एवं श्री प्रहलाद सिंह के विरूद्ध सर्वे नम्बर 1724 में स्थित आवासीय भुखण्ड में अतिक्रमण को रोकने हेतु सिविल वाद स्थाई निषेधाज्ञा एंव प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान सिविल न्यायाधीश न्यायालय बांसवाड़ा में प्रस्तुत किया है। जिसमें उपरोक्त श्री महेश तेली, श्री मुकेश पाटीदार एवं श्री प्रहलाद सिंह के द्वारा जवाबदावा एवं जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि श्रीमती शान्ता ने सर्वे नम्बर 1724 की भूमि का रूपान्तरण मौके की स्थिति गलत बताकर नगरपरिषद से झुठा व बनावटी आदेश प्राप्त किया है और श्रीमती शान्ता ने भूमि का रूपान्तरकरण पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नहीं कराकर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रूपान्तरण करवा दिया है जिससे सर्वे नम्बर 1724 की भूमि का भुआवंटन एवं लीज डीड के अनुसार भूमि ओवरलोप होना बताया है तथा सर्वे नम्बर 3578/1724 की कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सर्वे नम्बर 1724 में स्थित आवासीय भुखण्ड के अतिक्रमण को रोकने बाबत दिनांक 06.07.2021 को स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरादेवी के उपरोक्त आवासीय भूखण्ड में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करने, अतिक्रमण नहीं करने, खुदाई व निर्माण कार्य नहीं करने, सारभूत शक्ल में परिवर्तन नहीं करने, न ही किसी प्रकार के अन्तकरण करने और आवासीय भुखण्ड के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुचाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो उक्त प्रकरण संख्या 6/2021 सी.एम., 4/2021, सी.एम. 7/2021 एवं 5/2021 सी.एम. है। उपरोक्त श्री महेश तेली, श्री मुकेश पाटीदार एवं श्री प्रहलाद सिंह के द्वारा प्रार्थी को उपरोक्त आवासीय भुखण्ड को कृषि सर्वे नम्बर 3578/1724 बताकर यह वाद प्रस्तुत किय है। जो काबिल निरस्तनीय है। मौके पर किसी प्रकार की कोई कृषि भूमि स्थित है और न ही किसी प्रकार की कोई काश्त हुई है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य कि अप्रार्थी का प्रार्थी की कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होना तथा प्रार्थी की भूमि को जबरन हड़पनें के लिए उक्त गैरकानूनी कृत्य करना तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सर्वे नंबर 1724 की भूमि में भुखण्ड खरीदना बताकर जबरन प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर निर्माण कार्य करने का प्रयास करना, अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं होना एवं भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं होना अप्रार्थी के हकों पर कुठाराघात करने का हक व अधिकार नहीं होना आदि सभी तथ्य मिथ्या होकर अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की आवासीय भूमि में अन्य तथाकथित व्यक्तियों के साथ अतिक्रमण कराकर अप्रार्थी की आवासीय भूमि को हड़पना चाहते है जिसका प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 द्वारा अपने आवासीय भुखण्ड के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग से प्रार्थी बेदखल करना चाहता है जिसको उसे कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी के द्वारा वर्ष 2008 से आवासीय भुखण्ड क्रय किये है तब से उनका आधिपत्य चला आ रहा है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित समस्त तथ्य पूर्णरूप से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा बताई गई भुमि कृषि भूमि नही होकर आवासीय भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी का आधिपत्य है लेकिन प्रार्थी ने कृषि भूमि की आड़ में अप्रार्थी के विरूद्ध आवासीय भूमि के आधिपत्य में दखल देने के उद्धेश्य से वाद प्रस्तुत किया है जो प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित समस्त तथ्य पूर्णरूप से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा बताई गई भूमि , कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय भूमि है। जिसके संबध में माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई है। उक्त निर्णय से बचने के लि उपरोक्त श्री महेश तेली, श्री मुकेश पाटीदार एवं श्री प्रहलाद सिंह के द्वारा प्रार्थी शंकरलाल के उक्त वाद प्रस्तुत करवाया है। जो काबिज निरस्तनीय है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी वाद वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद काबिल निरस्तनीय है।

विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थी संख्या 7 श्रीमती कमला के स्वामित्व, आधिपत्य का आवासीय भुखण्ड संख्या 6 साईज पूर्व से पश्चिम 33 फीट उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 990 वर्गफीट, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

संख्या 8 श्रीमती कमला के स्वामित्व आधिपत्य का आवासीय भुखण्ड संख्या 1 साईज उत्तर से पूर्व भाग पूर्व से पश्चिम 35 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 20 फीट कुल 700 वर्गफीट एवं आवासीय भुखण्ड संख्या 1 का बदिशा दक्षिणी 20 फीट कुल 700 वर्गफीट एवं आवासीय भुखण्ड संख्या 1 का बदिशा दक्षिणी–पूर्वी भाग पूर्व से पश्चिम 35 फीट एंव उत्तर से दक्षिण 10 फीट कुल 350 वर्गफीट इस प्रकार आवासीय भुखण्ड की कुल साईज 1050 वर्गफीट, उसी प्रकार श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री रामस्वरूप के स्वामित्व, आधिपत्य का भुखण्ड संख्या 5 पूर्व से पश्चिम 33 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 990 वर्गफीट एवं अप्रार्थी संख्या 6 श्रीमती लक्ष्मी के स्वामित्व, आधिपत्य का आवासीय भुखण्ड संख्या 2 साईज पूर्व से 35 फीट एंव उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 1050 वर्गफीट वाके ग्राम अगरपुरा बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा स्थित जिसका सर्वे नम्बर 1724 रकबा 14 बिस्वा में पृथक–पृथक दिनांक जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा श्रीमती शान्ता पत्नी श्री इन्द्रजीत खराडी जाति भील निवासी दाहोद रोड़ बांसवाड़ा से किमतन और क्रय दिनांक से उक्त आवासीय भुखण्ड पर उपरोक्त अप्रार्थी एवं उनका परिवार काबिज होकर उपयोग व उपभाग कर करा है। उपरोक्त आवासीय भुमि सवे नम्बर 1724 रकबा 14 बिस्वा को श्रीमती शान्ता पत्नी श्री इन्द्रजीत खराडी के नाम राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम की धारा–90–बी में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के द्वारा प्रकरण संख्या 81/2008 में पुर्नग्रहण आदेश संख्या एफ/राज/81/08/2008 889–92 दिनांक 22.05.2008 के द्वारा सर्वे नम्बर 1724 रकबा 14 बिस्वा को आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नग्रहित की गई एवं नामान्तरकरण संख्या 3000 दिनांक 26.05.2008 द्वारा आबादी नगरपालिका दर्ज अभिलेख की गई। कार्यालय नगरपालिका मण्डल बांसवाड़ा द्वारा आबादी नगरपालिका दर्ज अभिलेख की गई। कार्यालय नगरपालिका मण्डल बांसवाड़ा द्वारा श्रीमती शान्ता के पक्ष में पट्टा क्रमांक 151/2644 दिनांक 04.06.2008 को भु–आवटन पत्र क्षैत्रफल 823.50 वर्गगज ब्लॉक ए व बी आबादी भूमि का जारी किया गया एवं श्रीमती शान्ता के पक्ष में विधिवत लीज डीड दिनांक 18.06.2008 को निष्पादित की गई और लीज डीड का उप पंजीयक कार्यालय बांसवाड़ा में लेक्ष्य पत्र क्रमांक 2008002324 दिनांक 18.06.2008 को पंजीबद्ध की गई है। इस प्रकार उपरोक्त आवासीय भूमि के संबध में प्रार्थी ने कृषि भूमि बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि मौके पर किसी प्रकार की कोई कृषि भूमि स्थित नहीं है। जिस कारण यह प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत काबिल निरस्तनीय है।

वाद वर्णित भूमि के संबध में माननीय न्यायालय के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है और दौराने वाद उपरोक्त श्री महेश तेली, श्री मुकेश पाटीदार एंव श्री प्रहलाद सिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 8 व मीरा देवी के आवासीय भुखण्ड में अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर सीमेन्ट की पट्टिया खड़ी कर दी है जिससे प्रार्थी उक्त पट्टियों को अपनी बाउण्ड्री बताकर अप्रार्थी की आवासीय भूमि को कृषि भूमि दर्शित कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का आधिपत्य नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में नही होकर अप्रार्थी के हक में है। यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो प्रार्थी इसकी आड में अप्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करेगी। जिससे अप्रार्थी को असीम क्षति होगी जिसका रूपयों में मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र संलग्न है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावे एवं अप्रार्थी को धारा 35 (क) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत हर्जा–खर्चा दिलावे।

फर्द दस्तावेज में रसीद नगर परिषद बांसवाड़ा, भू आवंटन पत्र नगरपालिका बांसवाड़ा, पुनग्रहण आदेश 22.5.2008, नजरी नक्षा भूखण्ड लक्ष्मी, मौके के फोटो 1 से 3 भूखण्ड सं.2, सिडी, बील, विक्रय पत्र 14.07.2008 श्रीमती लक्ष्मी, नक्षा नजरी मीरा देवी, मौको के फोटो 1 से 4, सिडी, फोटो बील, विक्रय पत्र, आदेश 6.2.21, नक्षा नजरी कैलाश मौको की फोटो 1 से 4, सिडी, बील, विक्रय पत्र, निर्णय, नक्षा नजरी कमला का भुखण्ड, फोटो भुखण्ड 1 से 4, सिडी, फोटो बील, निर्णय 6.7.21, जवाब प्रार्थना पत्र 1 से 4, जवाबदावा 1 से 4, विक्रय पत्र, लीजडीड, तहरिर, समाचार पत्र की छायाप्रतियां संलग्न किये जाना बताया है।

प्रार्थना पत्रों की दिनांक 04.08.2021 को विद्वान अभिभाषक गणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने अपने कथन में बताया कि हमारा दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है। इसमें खातेदार होना व साबित करना आवश्यक है। खसरा नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नक्शा पेश किया जिसमें एबीसीडी मेरे कब्जे की भूमि है। उक्त भूमि पर खेती नहीं देते। मैं अकेला व ये संख्या में अधिक है। मूल नम्बर 1724 है, उसके दो हिस्से किये गये। उत्तरी हिस्सा (1724 का) यह मैने कालूराम से रजिस्टर्ड खरिदा। 1724 आबादी में हो गया तथा 1724 मूल शांता देवी ने खरिदी व उनका बट्टा नंबर मैने खरिदी जो नक्शे में एबीसीडी है, उसका राजस्व नक्शे जैसा ही है व मेल

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

खाता है। 1724 मूल सर्वे नम्बर को उत्तर को पश्चिम कर दिया जिससे पुरा नक्शा ही धूम गया। सीमा विवाद है, अन्यथा कोई डिस्प्यूट नही है। यह एसटी है। मेरी कृषि भूमि है, तथा विपक्षीयों की आवासीय भूमि है। मौके की पटवारी रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित ने अपने कथन में बताया कि जिस भूमि का मैं दावा लाए है। जो मूल नम्बर 1724 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से संबधित है। इसमें से 14 बिस्वा कन्वर्ट होकर श्रीमति शांता देवी के नाम नगरपरिषद द्वारा पट्टा हुआ व तत्पश्चात विधिवत भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को व श्रीमति मीरा देवी को बेचा गया। 2008 में क्रय की है। क्रय दिनांक से काबिज है। आवासीय भूखण्ड है। 5–5 फीट की बाउण्ड्रीवाल भी बनी है इन भूखण्डों पर महेश तेली, मुकेश पाटीदार व प्रहलाद सिंह इन तीन व्यक्तियों द्वारा आवासीय भूखण्डों पर जेसीबी से तोड़ फोड़ की। क्रेताओं 6 से 8 ने सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी पेश किया। प्रार्थना पत्र का इन व्यक्तियों ने जवाब प्रस्तुत किया व अन्य आराजी पर इनका भूखण्ड है। उक्त तीनों के विरूद्ध 6.7.2021 को इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मूल वाद के निस्तारण तक दखल न करे संबधी पारित किया। (आवासीय भूखण्ड पर)

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने पुनः कथन किया कि 1724 का विवाद उक्त तीनों के मध्य विवाद हो सकता है। मैरा तो मेरी भूमि आराजी नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का विषय है। वहां शंकरलाल (प्रार्थी) पार्टी नही है। मौके की स्थिति का फोटो संलग्न किया है। हमको 1724 से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी 1724 पर काबिज है तथा 3578/1724 पर कोई दखल नहीं दे रहे है।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा दिये तर्को पर मनन किया गया। अस्थाई निषधाज्ञा कि प्रार्थना पत्र कि निस्तारण के लिये न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

01 – प्रथम दृष्टया मामला – प्रथम दृष्टया मामले को अपने पक्ष में साबित मानते हुए विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 870 नई, 702 पुरानी जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म काली कदीम लगानी 1.34 पैसा, वाके राजस्व ग्राम बांसवाड़ा, अगरपुरा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। में प्रार्थी कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज होकर राज्य सरकार में लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रस्तुत जमाबन्दी की छायाप्रति में खाता संख्या 870 नई, 702 पुरानी जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म काली कदीम लगानी 1.34 पैसा, वाके राजस्व ग्राम बांसवाड़ा, अगरपुरा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। में प्रार्थी शंकरलाल पिता देवा भील निवासी कुपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा खातेदार दर्ज है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने निवेदन है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्रों में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थी द्वारा दिये तर्को का खण्डन करते हुवे निवेदन किया कि जो मूल नम्बर 1724 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से संबधित है। इसमें से 14 बिस्वा कन्वर्ट होकर श्रीमति शांता देवी के नाम नगरपरिषद द्वारा पट्टा हुआ व तत्पश्चात विधिवत भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को व श्रीमति मीरा देवी को बेचा गया। 2008 में क्रय की है। क्रय दिनांक से काबिज है। आवासीय भूखण्ड है। 5–5 फीट की बाउण्ड्रीवाल भी बनी है इन भूखण्डों पर महेश तेली, मुकेश पाटीदार व प्रहलाद सिंह इन तीन व्यक्तियों द्वारा आवासीय भूखण्डों पर जेसीबी से तोड़ फोड़ की। क्रेताओं 6 से 8 ने सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी पेश किया। प्रार्थना पत्र का इन व्यक्तियों ने जवाब प्रस्तुत किया व अन्य आराजी पर इनका भूखण्ड है। उक्त तीनों के विरूद्ध 6.7.2021 को इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मूल वाद के निस्तारण तक दखल न करे संबधी पारित किया। (आवासीय भूखण्ड पर)

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने पुनः कथन किया कि 1724 का विवाद उक्त तीनों के मध्य विवाद हो सकता है। मैरा तो मेरी भूमि आराजी नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का विषय है। वहां शंकरलाल (प्रार्थी) पार्टी नही है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह पाता हूँ कि प्रार्थी खाता संख्या 870 नई, 702 पुरानी जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार सर्वे नम्बर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म काली कदीम लगानी 1.34 पैसा, वाके राजस्व ग्राम बांसवाड़ा, अगरपुरा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित का प्रार्थी शंकरलाल पिता देवा भील निवासी कुपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा खातेदार है। प्रार्थी द्वारा इस कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। अप्रार्थीगण ने मूल नम्बर 1724 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से 14 बिस्वा कन्वर्ट आवासीय भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय सिविल न्यायाधीश न्यायालय बांसवाड़ा राज. के आदेश से प्राप्त होने की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त दोनों भूमि के आराजीयात व किस्म अलग–अलग है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जैसे स्वविवेकाधीन साम्यपूर्ण अनुतोष को उपलब्ध कराने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनना स्पष्ट रूप से पाया जाता है। अतः समग्र विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले को साबित करने में सफल रहा है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामले यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे तय किया जाता है।

02– सुविधा का संतुलन एवं 03 अपूरणीय क्षति –

सुविधा की दृष्टि से उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे जिससे प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तुलना में अधिक अपूरणीय क्षति एवं असुविधा होने की संभावना रहेगी, जबकि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होना प्रथम दृष्टया दृष्टिगत नहीं होता है। जबकि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा उनके कन्वर्ट भूमि पर माननीय सिविल न्यायाधीश न्यायालय बांसवाड़ा राज.द्वारा प्राप्त की गई है। अतः उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते है।

इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्ताकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्राथीगण संख्या 01 से 09 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करे, अतिक्रमण न करे, गैरकानूनी व अवैध कृत्य नहीं करे, खुदाई कर निर्माण नहीं करे, सारभूत शक्ल में परिवर्तन नहीं करे व किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय व अंतरित न करे तथा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने में बाधा नहीं पहुंचाये और ना ही ऐसा कृत्य करावे।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)